MONAD UNIVERSITY

Established by UP State Govt. Act No. 23 of 2010 & U/S 2(f) of U.G.C. Act. 1956.
NH-24, Delhi Hapur Road, P.O. Pilkhuwa, Distt. Hapur – 245304 (U.P.)

Dated: 10.05.2020

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्ष एवं शिक्षकगणों को प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश के अनुपालन में निर्देश दिये जाते हैं कि कोविड–19 महामारी में लाकडाउन के दौरान छात्र/छात्राओं के पठन–पाठन के उद्देश्य से दूरदर्शन एवं इग्नू द्वारा शुरू किये गये चार निःशुल्क शैक्षिक चैनलों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित स्वयंप्रभा के अन्तर्गत प्रसारित 32 निःशुल्क चैनलों के माध्यम से विभिन्न विषयों के शैक्षणिक कार्यक्रमों की सुलभता अपने–अपने विभाग के छात्रों को दिया जाना सुनिश्चित करें। इस सन्दर्भ में पूर्व में भी आपको कुलसचिव कार्यालय आदेश दिनांक 24.04.2020 के माध्यम से दिशा–निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।

स्वयंप्रभा पर उपलब्ध 32 चैनलों का प्रसारण निम्नलिखित केबल/डिश/डी.टी.एच. ऑपरेटर्स द्वारा निम्नानुसार चैनल नम्बर्स पर निःशुल्क किया जाता हैः–

1. डी.डी. फ्री–टू–एअर चैनल नम्बर 120 से शुरू।
2. डिश टी.वी. चैनल नम्बर 920 से शुरू।
3. टाटा स्काई चैनल नम्बर 756 से शुरू।
4. एयरटेल टी.वी. चैनल नम्बर 437 से शुरू।

स्वयंप्रभा पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की समय–सारणी प्रति सप्ताह अपडेट होती रहती है। समय–समय पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की समय–सारणी इण्टरनेट के माध्यम से डाउनलोड कर छात्रों तक पहुँचाया जाना है ताकि छात्र सुविधाजनक समय के हिसाब से अपने पाठ्यक्रम से सम्बन्धित लेक्चर सुन सकें।

विभागाध्यक्ष उक्त प्रकरण के निष्पादन की सूचना कुलसचिव कार्यालय के ई–मेल registrar@monad.edu.in पर दिनांक 13.05.2020 (बुद्धवार) तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कर्नल डी०पी० सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

1. माननीय कुलपति कार्यालय को अवलोकनार्थ हेतु प्रेषित।
2. परीक्षा नियन्त्रक।
3. समस्त विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कि वे अपने स्तर से शिक्षकगणों द्वारा समस्त छात्र/छात्राओं को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. छात्र कल्याण अधिष्ठाता।
5. समस्त शिक्षकगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. आई०टी० विभाग को सूचनार्थ एवं वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

(कर्नल डी०पी० सिंह)
कुलसचिव